राजस्व संख्या 217/2024
RCMS No. 2024/492
कुलदीप बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 5/5/25

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी- II आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 217/2024

कुलदीप पुत्र गुरूदयाल उम्र साल जाति जाट निवासी महराना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) ....वादी

—ब ना म—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
................प्रतिवादी

दावा — घोषणात्मक धारा 88 राज.कास्त. अधि.।

उपस्थिति —

1. श्री राजकुमार चौधरी अधिवक्ता — वादी की ओर से ।
2. प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

:: निर्णय :: दिनांक —5/5/25

वादी की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:—

1. यह कि वाके ग्राम महराना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 11 के ख.न. 144 रकबा 3.97 है. भूमि में वादी का हिस्सा 133/397 भाग है तथा वादी कुलदीप पुत्र वेदकोर दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार खाता संख्या 23 के ख.न. 242, 573/259, 576/256 कुल [illegible] कुल रकबा 79 है. भूमि के 1/2 भाग मे वादी का नाम कुलदीप पुत्र [illegible] रिकार्ड है।
2. यह कि वादी की माता ने [illegible] से दिनांक 17.11.2008 व दिनांक 28.11.2008 को भूमि क्रय की थी [illegible] की माता का देहान्त [illegible] 12.12.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

को हो चुका है वादी की माता के देहान्त के बाद विरास्तन इन्तकाल दिनांक 07.03.2024 हुआ तो वादी के नाम के साथ उसके पिता गुरूदयाल का नाम दर्ज नही किया गया।

3. यह कि उक्त भूमि के विक्रय पत्र में वादी की माता व उसके पति का नाम दर्ज है परन्तु सहवन से विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वादी के नाम के साथ वादी के पिता गुरूदयाल का नाम दर्ज होने से रह गया। अतः वाद रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि वादी के सभी दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, शिक्षा रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में वादी के नाम के साथ वादी के पिता का नाम गुरूदयाल दर्ज है अतः वादी अपने माता के स्थान पर अपने पिता गुरूदयाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

5. यह कि वादी को किसान केडिट कार्ड बनवाने व बैंक में ऋण आदि लेने में काफी समस्या होती है। अतः वादी अपने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम के आगे पिता जी का नाम दर्ज करवाना चाहता है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम महराना में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है अतः न्यायालय श्रीमान को वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है।

7. यह कि इस प्रकार के वाद दर्ज करने की कोई समय सीमा निर्धारित नही होती है। अतः वाद सावधी पेश है।

8. यह कि वाद पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है।

9. यह कि वाद पत्र नये राजस्व रिकार्ड के साथ व शपथपत्र के साथ पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क) कि वाके ग्राम महराना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 115 के ख.न. 144 रकबा 3.97 है. में वादी की माता के स्थान पर वादी के पिता गुरूदयाल का नाम दर्ज किया जावे अर्थात कुलदीप पुत्र गुरूदयाल दर्ज किया जावे।

(ख) कि वाके ग्राम महराना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 23 के ख.न. 242, 573/259, 576/256 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है. में वादी की माता के स्थान पर वादी के पिता गुरूदयाल का नाम दर्ज किया जावे अर्थात कुलदीप पुत्र गुरूदयाल दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व संख्या 217/2024
RCMS No. 2024/492
कुलदीप बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 5/5/25

वादी का दावा कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं मुद्दा समन प्रतिवादी जारी किया गया जो तामील होकर प्राप्त हुआ पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट होता की वाद वर्णित भूमि के विक्रय पत्र व जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 115 में वादी का नाम माता की वलदीयत के आधार पर कुलदीप पुत्र वेदकोर दर्ज हुआ है तथा खाता 23 में माता की वलदीयत के आधार पर कुलदीप पुत्र वेदकोर तथा पिता की वलदीयत के आधार पर कुलदीप पुत्र गुरूदयाल दर्ज किया गया इस कारण से वादी के नाम के साथ वादी की माता व पिता दोनों के नाम दर्ज है वादी ने अपने के साथ अपने पिता गुरूदयाल का नाम दर्ज करने का घोषणात्मक अनुतोष चाहा है। इसलिए न्यायालय वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाता है।

— :: आदेश ::—

अतः वाद वादी इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम महराना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 115 के ख.न. 144 रकबा 3.97 है. में वादी का नाम कुलदीप पुत्र वेदकोर के स्थान पर कुलदीप पुत्र गुरूदयाल हिस्सा 133/397 दर्ज करने की घोषणा करता है तथा वाके ग्राम महराना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 23 के ख.न. 242, 573/259, 576/256 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है. में वादी का नाम कुलदीप पुत्र वेदकोर के स्थान पर कुलदीप पुत्र गुरूदयाल हिस्सा पूर्ण दर्ज करने की घोषणा करता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश तहसीलदार बुहाना को दिया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 5/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

सुमन देवी – II , R.A.S.

राजस्व वाद स. 217 / 2024

कुलदीप **–ब ना म–** राजस्थान सरकार

दावा – घोषणात्मक ।

वादी की ओर से श्री राजकुमार **चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 5/5/25 को **सुमन देवी उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –

'' कि वाके ग्राम महराना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 115 के ख.न. 144 रकबा 3.97 है. में वादी का नाम **कुलदीप पुत्र वेदकोर के स्थान पर कुलदीप पुत्र गुरूदयाल हिस्सा 133 / 397** दर्ज करने की घोषणा करता है तथा वाके ग्राम महराना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 23 के ख.न. 242, 573 / 259, 576 / 256 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है. में वादी का नाम कुलदीप पुत्र वेदकोर के स्थान पर **कुलदीप पुत्र गुरूदयाल हिस्सा पूर्ण दर्ज** करने की घोषणा करता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश तहसीलदार बुहाना को दिया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई'' खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

(सुमन देवी – II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested